उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-20/2026/198 के-2/22-3-2024-17(66)/2011

लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेन्द्र उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-16636) पुत्र श्री सतवीर, निवासी-ग्राम सोन्टा, थाना-मंसूरपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201/149, 506/149, 148 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05.03.1990 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.07.1994 द्वारा सजा को यथावत रखा गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 08.07.1991 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 04-02-2023 तक 27 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 37 वर्ष, 07 माह, 09 दिन की भोगी गई सपरिहार सजा तथा द्वितीय केस में दिनांक 04-02-2023 तक 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा एवं 17 वर्ष, 02 माह, 19 दिन की भोगी गई सपरिहार सजा, बंदी की आयु 64 वर्ष, 10 माह व जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1-पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारगार, आगरा।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6-नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

7-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in